उत्पाद-शुल्क

टिप्पणः (क) वि.उ.शु. से विशेष उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है।

(ख) अ.उ.शु (वि.म.मा.) से अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम अभिप्रेत है। जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :-

क. पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर अधिभार :

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का वित्तपोषण करने के लिए पान मसाला और कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर अधिभार के रूप में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण किया जा रहा है। इस अतिरिक्त शुल्क को सिगरेट पर विहित विनिर्दिष्ट दरों पर और पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल संदेय उत्पाद-शुल्क की सामान्य दरों के 10 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जाएगा। इस अधिभार को बीड़ी पर उद्गृहीत नहीं किया गया है।

ख. शुल्क का अधिरोपण और उसमें वृद्धि :

(I) अधिरोपण :

(1) मोजैक टाइलों पर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के साथ 8 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है। लघु उद्योग छूट उपलब्ध है।

(2) रोड ट्रालरों के लिए रोड़ ट्रेक्टरों (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता के) पर 16 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है।

(3) ब्रांड युक्त आभूषण की वस्तुओं पर 2 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है। आभूषण की वस्तु पर ब्रांड या व्यापार नाम को अमिट रूप से लिखने या उत्कीर्ण करने की प्रक्रिया को विनिर्माण माना जाएगा।

(II) अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले लौह और इस्पात पर उत्पाद-शुल्क को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है।

(III) विघटन के लिए तात्पर्यित पोतों पर उत्पाद-शुल्क को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया गया है।

(IV) शीरे पर उत्पाद-शुल्क को 500 रूपए प्रति मीटरी टन से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है।

ग. अनुतोष उपाय :

(1) वातानुकूलकों पर उत्पाद-शुल्क को 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत किया गया है।

(2) टायर, ट्यूबों और फ्लैपों पर उत्पाद-शुल्क को 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत किया गया है।

(3) मशीनीकृत और अर्ध-मशीनीकृत सेक्टर द्वारा निर्मित माचिसों पर उत्पाद-शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत (केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय सहित) किया गया है।

(4) नकली आभूषणों पर उत्पाद-शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया है।

(5) केक और पेस्ट्रिओं पर उत्पाद-शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया है।

घ. कृषि और खाद्य प्रसंस्करण :

(1) परिष्कृत खाद्य तेलों पर 1 रुपया प्रति कि.ग्रा. और वनस्पति, बेकरी शार्टनिंग और इंटर-एस्टेरीकृत, पुनः एस्टेरीकृत, इलेडनिकृत वसाओं को 1.25 रुपए प्रति कि.ग्रा. के उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

(2) चाय और चाय अपशिष्ट को 1 रुपया प्रति कि.ग्रा. के अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

(3) पावर टिलरों (शीर्ष सं. 84.32) के उत्पादन के लिए विनिर्मित पुर्जों को, जिनका बंधित रूप से उपभोग किया जाता है, उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

(4) इलैक्ट्रानिक दुग्ध वसा और ठोस गैस-वसा टेस्टर पर उत्पाद-शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया है।

ङ टेक्सटाइल :

(1) पॉलिएस्टर संव्यूतित सूत सहित पॉलिएस्टर फिलामेंट सूत (पीएफवाई) पर उत्पाद-शुल्क को 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत किया गया है।

(2) स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा बाहर से उपाप्त सूत से विनिर्मित प्रसंस्कृत फिलामेंट सूतों (पॉलिस्टर फिलामेंट सूत सहित) पर वैकल्पिक शुल्क विहित किया गया है। ऐसे सूत पर या तो केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय का लाभ लिए बिना शून्य उत्पाद-शुल्क लगेगा या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय सहित 8 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क का संदाय करना होगा।

च. लघु उद्योग :

(1) छूट के लिए पात्रता का अवधारण करने हेतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निकासियों के मूल्य को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

(2) उस छूट स्कीम को, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की निकासियों के लिए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के साथ सामान्य दर के 60 प्रतिशत की रियायती दर के लिए उपबंध है (अधिसूचना सं. 9/2003-के.उ.शु.) वापस लिया जा रहा है।

ये परिवर्तन 1 अप्रैल, 2005 से प्रवृत्त होंगे।

छ. पेट्रोलियमः

(1) कतिपय पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारिक उत्पाद-शुल्क की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया गया हैः

		पूर्ववर्त्ती	**पुनरीक्षित**
(क)	पेट्रोल	23 प्रतिशत	8 प्रतिशत + 5.00 रु. प्रति ली.
(ख)	डीज़ल	8 प्रतिशत	8 प्रतिशत + 1.25 रु. प्रति ली.
(ग)	सार्वजनिक वितरण के लिए किरोसिन	12 प्रतिशत	शून्य
(घ)	घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी	8 प्रतिशत	शून्य
(ड़)	हल्का डीजल तेल	16 प्रतिशत + 1.50 रु प्रति ली.	16 प्रतिशत + 2.50 रु. प्रति लि.

(2) मोटर स्पिरिट और उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को 1.50 रुपए/ली. से बढ़ाकर 2 रुपए/ली. किया गया है। यह राशि केंद्रीय सड़क निधि को जाती है।

(3) मोटर स्पिरिट पर 6 रुपए प्रतिलीटर के विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ज. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एन.सी.सी.डी.) :

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि को आपूर्ति करने के लिए वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा निम्नलिखित मदों पर शुल्क अधिरोपित किया गया थाः

(1) पॉलिएस्टर फिलामेंट सूत, मोटर कारों, बहुउपयोगिता यानों और दुपहिया यानों पर 1 प्रतिशत;

(2) घरेलू कच्चे तेल पर 50 रुपए/मीटरी टन।

यह उद्ग्रहण 1 वर्ष (29.2.2004 तक) विधिमान्य था और तत्पश्चात् इसे 31.3.2005 तक विस्तारित किया गया था। इस उद्ग्रहण को बिना किसी समय सीमा के विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है।

झ. प्रकीर्ण :

(1) वायुचालित विद्युत जनित्रों और उसके पुर्जों को उपलब्ध उत्पाद-शुल्क में छूट को रोटर और वायु टर्बाइन नियंत्रक को उसके अंतर्गत लाने के लिए विस्तारित किया गया है।

(2) सीमेंट क्लिकरों पर उत्पाद-शुल्क को 250 रुपए प्रति मीटरी टन से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति मीटरी टन किया गया है।

ञ. खुदरा विक्रय मूल्य (खु.वि.मू.) आधारित निर्धारण :

उत्पाद-शुल्क को 24 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत किए जाने के परिणामस्वरूप, वातानुकूलकों पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण के लिए खुदरा मूल्य से उपशमन को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया है।

ट. सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियमों तथा नियमों में संशोधन :

(1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची को भूतलक्षी प्रभाव से 1 मार्च, 1986 से संशोधित किया जा रहा है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि परिष्कृत वनस्पति खाद्य तेलों (शीर्ष 1500 और शीर्ष 1503) के संबंध में परिष्करण की प्रक्रिया विनिर्माण माना जाए।

(2) अधिसूचना सं. 88/88-के.उ.श. को 21 फरवरी, 2000 से 28 फरवरी, 2003 की अवधि के लिए भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्र की विद्यमान परिभाषा को 21 फरवरी, 2000 से लागू किया जा सके।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के नियम 57गग, नियम 57कघ और केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम के नियम 6 का किसी भी विनिर्माता से देय रकम की वसूली के लिए तंत्र तब उपलब्ध कराने के लिए भूतलक्षी रूप से संशोधित किए जा रहे हैं जब उससे छूट प्राप्त और उत्पाद-शुल्क के उत्पादों दोनों में प्रयुक्त सामान्य इनपुटों के लिए पृथक लेखा रखने में उसकी असफलता के कारण उसकी छूट प्राप्त निकासियों पर 8 प्रतिशत या 10 प्रतिशत की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है। इस उपबंध को 1 अगस्त, 1996 से भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रस्ताव है।

(4) चाय पर अतिरिक्त शुल्क से छूट के परिणामस्वरूप वित्त अधिनियम, 2003 की धारा 128 और धारा 157 तथा चौथी अनुसूची का लोप किया जा रहा है।

(5) 1 अप्रैल, 2000 से पूर्व संदत्त अ.उ.शु. (वि.म.मा.) प्रत्यय जिसका उपयोग ब्याज सहित केंन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का संदाय करने के लिए किया गया था की वसूली की स्कीम विहित करने के लिए वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन किया जा रहा है।

(6) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि किसी उत्पाद-शुल्क्य माल को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतया छूट दी जाती है तो ऐसे माल का विनिर्माता छूट प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा।

(7) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क का संशोधन किया जा रहा है जिससे भारत में विद्यमान संयुक्त उद्यम को अग्रिम विनिर्णय के फायदे प्राप्त करना अनुज्ञात किया जा सके। केन्द्रीय सरकार को व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग को अग्रिम विनिर्णय का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाने के लिए अधिसूचित करने के लिए सशक्त किया जा रहा है।

(8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 तक का संशोधन किया जा रहा है जिससे आवेदक द्वारा असहयोग करने की दशा में किसी मामले को समझौता आयोग द्वारा अधिकरण को वापस भेजने का उपबंध किया जा सके।

(9) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का पुनर्विलोकन करने की केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) की शक्ति को सीबीईसी द्वारा यथा अधिसूचित दो मुख्य आयुक्तों की समिति में निहित किया जा रहा है। इसी प्रकार आयुक्त (अपील) के आदेशों का पुनर्विलोकन करने की आयुक्त की शक्ति को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के दो मुख्य आयुक्तों में निहित किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35क, धारा 35ख और धारा 35ङ में उपयुक्त संशोधन किए जा रहे हैं।

(10) यह उपबंध करने के लिए कि पान मसाला और कतिपय तम्बाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (अधिभार के माध्यम से) का प्रत्यय इस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का संदाय करने के लिए ही उपलब्ध हो केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियमों को संशोधित किया गया है। किसी अन्य शुल्क के प्रत्यय का अतिरिक्त उत्पादशुल्क का संदाय करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(11) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन अनुसूची को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि प्रविष्टियों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2005 में सम्मिलित की गई नई उत्पाद-शुल्क अनुसूची के समरूप बनाया जा सके।

(12) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुएं) अधिनियम, 1978 के अधीन अनुसूची को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि प्रविष्टियों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2005 में सम्मिलित की गई नई उत्पाद-शुल्क अनुसूची के समरूप बनाया जा सके।

(13) केद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन के अधीन अनुसूची को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि प्रविष्टियों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2005 में सम्मिलित की गई नई उत्पाद-शुल्क अनुसूची के समरूप बनाया जा सके।

(14) वित्त अधिनियम, 2001 के अधीन सातवीं अनुसूची को संशोधित किया जा रहा है जिससे कि प्रविष्टयों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा प्रविष्ट की गई नई उत्पाद-शुल्क अनुसूची के समरूप बनाया जा सके।

(15) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ङ और धारा 28ज का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि माल के मूल और उनसे संबंधित मामलों के संबंध में भी अग्रिम विनिर्णय की अपेक्षा की जा सके। यह भी प्रस्ताव है कि भारत में विद्यमान संयुक्त उद्यमों को अग्रिम विनिर्णय के फायदे उपलब्ध करवाने के लिए अनुज्ञात किया जा सके। केन्द्रीय सरकार को भी अग्रिम विनिर्णय का फायदा अभिप्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की श्रेणी या वर्ग अधिसूचित करने के लिए सशक्त किया जा रहा है।

(16) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी को अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी (सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर) के रूप में पुनः नामित्त करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28च का संशोधन किया जा रहा है।

(17) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127डक का संशोधन किया जा रहा है जिससे समझौता आयोग द्वारा आवेदक द्वारा असहयोग करने की दशा में किसी मामले को अधिकरण को वापस भेजने का उपबंध किया जा सके।

(18) केंद्रीय सीमाशुल्क, आयुक्त द्वारा पारित आदेशों का पुनर्विलोकन करने की केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की शक्ति को सीबीईसी द्वारा यथाअधिसूचित दो मुख्य आयुक्तों की समिति में निहित किया जा रहा है। इसी प्रकार आयुक्त (अपील) के आदेशों का पुनर्विलोकन करने की आयुक्त की शक्ति को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के दो मुख्य आयुक्तों में निहित किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128क, धारा 129क और धारा 129घ में उपयुक्त संशोधन किए जा रहे हैं।

ठ. अन्य अधिनियमों में संशोधन

(1) केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 का संशोधन किया जा रहा है ताकि मोटर स्पिरिट और उच्च गति डीजल तेल पर 1.50 रुपए प्रति लीटर से 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के माध्यम से संग्रहीत राजस्व को राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और विकास के लिए निश्चित किया जा सके।

(2) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि-

(क) ऐसा विक्रय मूल्य अवधारित करने के लिए जिस पर केन्द्रीय विक्रय-कर उद्गृहीत किया जाना है, कार्य संविदाओं की बाबत समग्र प्रतिफल में से कटौतियों के लिए उपबंध करना।

(ख) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 के अधीन विक्रय-कर विधि और सामान्य विक्रय-कर विधि की परिभाषा के भीतर राज्यों के मूल्यवर्धित कर विधानों को शामिल करना।

(ग) "कार्य संविदा" पद को परिभाषित करना।

(घ) केन्द्रीय-विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अधीन फायदों का लाभ उठाने के लिए प्ररूप प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाना।

(ङ) विक्रय मूल्य अभिनिर्धारित करने की रीति के संबंध में नियम बनाने के लिए और "कार्य संविदाओं" के समग्र प्रतिफल से कटौतियां अनुज्ञात करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना।

(च) अन्तरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के समागम में किसी राजनयिक मिशन/कंसुलेट या संयुक्त राष्ट्र संगठन (यू.एन.ओ.) और ऐसे ही अन्तरराष्ट्रीय निकायों के कार्मिकों, व्यक्तियों, कंसुलटों या राजनयिक अभिकर्ताओं को माल के विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर से छूट देने के लिए उपबंध करता है।

(छ) किसी नामनिर्दिष्ट भारतीय वाहकों को उसकी अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बिक्री किए गए विमानन टरबाइन ईंधन की बिक्री को निर्यात मानना। यह नामनिर्दिष्ट भारतीय वाहकों को उनकी अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए विक्रय कर का भुगतान किए बिना विमानन टरबाइन ईंधन की खरीद करने में सक्षम बनाएगा।

(3) **भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 :** यह निर्णय किया गया है कि स्टाक एक्सचेंजों को निगमित और डीम्यूटूलाइड निकाय बना कर स्वामित्व को प्रबंधन से और स्टाक एक्सचेंजों के शासन को पृथक् करने का निर्णय किया गया है। संपरिवर्तन की इस प्रक्रिया के दौरान विद्यमान म्युच्युलाइड स्टाक एक्सचेंजों की आस्तियों का जब इन्हें डीम्यूटूलाइड स्टाक एक्सचेंजों में संपरिवर्तित कर दिया जाएगा तो नोशनल अंतरण होगा। निगमीकरण और डीम्यूयूलाइडोटान की प्रक्रिया और इस स्कीम से संबंधित लिखते स्टांप शुल्क के लिए दायी न हो, का उपबंध करने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है, जिससे यह सारी प्रक्रिया स्टांप शुल्क से मुक्त रहे।

सेवा-कर

(I) **सेवा-कर से छूट :**

(क) लघु सेवा प्रदाताओं के लिए एक छूट स्कीम विहित की गई है। उन सेवा प्रदाताओं को जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कराधेय सेवाओं का कुल मूल्य 4 लाख रुपए तक था, किसी एक वित्तीय वर्ष में 4 लाख रुपए तक के कुल मूल्य की कराधेय सेवाओं को सेवा-कर से छूट दी गयी है। प्रस्तावित छूट स्कीम 1 अप्रैल, 2005 से लागू होगी।

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को कारबार सहायक सेवा पर, सेवा-कर से छूट दी गई है, जो किसी विनिर्माता से प्राप्त इनपुट से मालों का निर्माण/प्रसंस्करण कर रहा है और पारिणामिक उत्पादों को ऐसे अंतिम उत्पादों के और विनिर्माण के लिए उसी विनिर्माता को भेज रहा है, जिनकी उत्पाद-शुल्क के संदाय पर निकासी की जाती है। उपर्युक्त परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

(II) निम्न सेवाओं पर सेवा कर 10% की दर से अधिरोपित किया जा रहा है,-

(1) पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से माल का परिवहन;

(2) कृषि, सिंचाई और जलसंभर क्रियाकलापों को प्रदत्त सेवाओं से भिन्न स्थल निर्माण और मलबा हटाने, खुदाई, मिट्टी हटाने और ढहाने संबंधी सेवाएं;

(3) नदियों, पत्तनों, बंदरगाहों, अप्रवाही जल और मुहानों की निकर्षक सेवाएं;

(4) सरकारी विभागों से भिन्न, सर्वेक्षण और मानचित्र निर्माण;

(5) कृषि, बागवानी, पशुपालन और डेयरी से संबंधित सेवाओं से भिन्न स्वच्छता सेवाएं;

(6) क्लबों या संगमों की सदस्यता;

(7) पैकेजिंग सेवाएं;

(8) डाक सूची संपादन और डाक भेजना; और

(9) सम्मिलित क्षेत्रों और अनुलग्नकों के साथ बारह से अधिक आवासीय मकानों या अपार्टमेंटों वाले आवासीय काम्पलेक्सों का संनिर्माण।

उपर्युक्त परिवर्तन वित्त विधेयक, 2005 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

(III) कतिपय विद्यमान सेवाओं की परिधि निम्नानुसार बढ़ाई जा रही हैः

(1) व्यवसायिक या औद्योगिक संनिर्माण सेवा जिसमें:

(i) ऐसे भवन या सिविल संरचना का नवीकरण सम्मिलित होगा;

(ii) ऐसे भवन या सिविल संरचना के लिए पश्चातवर्ती निर्माण समापन और परिसज्जन सेवाएं सम्मिलित होंगी;

(iii) पाइप लाइन या नलिकाओं का संनिर्माण, मरम्मत, परिवर्तन, नवीकरण या प्रत्यावर्तन सम्मिलित होगा।

(2) परिनिर्माण, आरंभ करने या प्रतिष्ठापन सेवाओं में विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठापन सेवाएं सम्मिलित होंगी।

(3) अनुरक्षण या मरम्मत में निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित होंगी;

(क) स्थावर सम्पत्तियों का अनुरक्षण या प्रबंधन,

(ख) किसी संविदा या करार के भाग के रूप में आरंभ की गई अनुरक्षण या मरम्मत जिसमें पुनर्नुकूलन या प्रत्यावर्तन सम्मिलित है।

(4) प्रसारण सेवाओं में ग्राहकों को बहुप्रणाली प्रचालक (एमएसओ) और सीधे गृह तक (डीटीएच) संकेतों की व्यवस्था से प्रसारण अभिकरणों द्वारा वसूल किए गए प्रभार सम्मिलित होंगे।

(5) ध्वनि रिकार्ड करने में किसी मीडिया पर ध्वनि रिकार्ड करना सम्मिलित होगा और इसमें ध्वनि मिश्रण करना या पुनर्मिश्रण जैसी पश्च उत्पादन सेवाएं भी सम्मिलित होंगी।

(6) वीडिया टेप उत्पादन में किसी मीडिया पर किसी कार्यक्रम, घटना या समारोह को रिकार्ड करना और पश्च उत्पादन सेवाएं सम्मिलित होंगी।

(7) प्राधिकृत सेवा स्टेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई कराधेय सेवाओं में मोटरकार, दुपहिया और हल्के मोटर यानों का पुनर्नुकूलन या प्रत्यावर्तन सम्मिलित होगा।

(8) ब्यूटीपार्लर सेवा में ब्यूटीपार्लरों द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सेवाएं सम्मिलित होंगी।

(9) जनशक्ति भर्ती सेवा में जनशक्ति, अस्थायी या अन्यथा का प्रदाय सम्मिलित होगा।

(10) कारबार विशेषाधिकार सेवा के अन्तर्गत वे सभी करार होंगे जिनके द्वारा कारबार विशेषाधिकारी कारबार विशेषाधिकार को माल को बेचने या उसका विनिर्माण करने या कारबार विशेषाधिकारी से पहचान की गई सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रतिनिधित्वयी अधिकार प्रदान करता है।

(11) कारबार सहायक सेवा में ग्राहक के लिए या उसकी ओर से माल का प्रसंस्करण करना या उत्पादन सम्मिलित होगा।

(12) बाह्य खानपान सेवा में किरायेदारी या अन्यथा के रूप में किसी स्थान या परिसरों से व्यक्ति द्वारा ऐसी सेवाएं प्राप्त करना सम्मिलित होगा।

उपर्युक्त परिवर्तन वित्त विधेयक, 2005 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(IV) **अधिनियम और नियमों में संशोधन :**

(1) वित्त अधिनियम, 1994 निम्नलिखित के लिए संशोधित किया जा रहा है:-

(क) "कराधेय सेवाओं" के क्षेत्र के विस्तार के लिए जिससे कि उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को उसमें सम्मिलित किया जा सके और यह स्पष्ट किया जा सके कि कराधेय सेवाओं में ऐसी सेवाएं भी सम्मिलित होंगी जो भारत में किसी प्राप्तकर्ता को भारत के बाहर से उपलब्ध कराई जाती हैं। [धारा 65(105)];

(ख) यह स्पष्ट करने के लिए कि कराधेय सेवा के उपबंध के पहले, सेवा के उपबंध के दौरान या सेवा के उपबंध के पश्चात, सेवा कर भारित करने के लिए प्राप्त संदाय कुल रकम का भाग बनेगा (धारा 67);

(ग) सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा रजिस्ट्रीकरण और विवरणी फाइल करने के लिए समर्थकारी उपबंध सम्मिलित करने (धारा 69 और धारा 70);

(घ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की कारण बताओ नोटिस जारी करने की और कम उद्ग्रहण की रकम का अवधारित करने की शक्तियां देने (धारा 73)।

धारा 74, धारा 78, धारा 84, धारा 85 और धारा 86 में भी पारिणामिक संशोधन किए गए हैं;

(ङ) सेवा कर मामलों के न्याय निर्णयन और न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं की शक्तियों से संबंधित उपबंध बनाने;

(च) अग्रिम विनिर्णय के फायदों को प्राप्त करने के लिए भारत में विद्यमान किसी संयुक्त उद्यम को अनुज्ञात करना। केन्द्रीय सरकार को अग्रिम विनिर्णय के फायदों को प्राप्त करने के लिए किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को पात्र बनाने के लिए अधिसूचित करने के लिए भी सशक्त बनाया जा रहा है (धारा 96 क)।

उपरोक्त 1(क) में विनिर्दिष्ट परिवर्तन वित्त अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभाव में आएंगे। उपरोक्त वर्णित अन्य परिवर्तन वित्त अधिनियम, 2005 के अधिनियमित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) सेवा कर नियम संशोधित किए जा रहे हैं जिससे कि:-

(क) यह विहित किया जा सके कि सेवा के उपबंध के पूर्ण होने या संदाय की प्राप्ति की तारीख से, जो भी पहले हो, 14 दिनों के भीतर बीजक को जारी किया जाना है [नियम 4क(1)];

(ख) यह विहित किया जा सके कि सभी सेवा कर निर्धारितियों द्वारा सेवा कर के संदाय के लिए शोध्य तारीख, यथास्थिति, आगामी मास या तिमाही की पांचवीं तारीख होगी (नियम 6);

(ग) एक से अधिक परिसरों का केन्द्रीकृत रजिस्ट्रीकरण समर्थ बनाया जा सके (नियम 4);

(घ) यह विहित किया जा सके कि पारस्परिक निधियों के वितरकों द्वारा प्रदत्त कारबार सहायक सेवाओं पर सेवा कर के संदाय का दायित्व सेवा के प्राप्तिकर्ता, अर्थात्, पारस्परिक निधियों पर होगा (नियम 2)।

उपर्युक्त परिवर्तन 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् दी गई सेवाओं के लिए प्रभावी होंगे।